कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांकः– 463 दिनांकः– 26.4.19

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड हेतु 184.23 हे0 (174.39 हे0 अतिक्रमित एवं 9.84 हे0 अक्षत) वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– **1. वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, बोकारो का पत्रांक 842 दिनांक 03.04.2019 एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो का पत्रांक 600 दिनांक 24.04.2019**
2. इस कार्यालय का पत्रांक 407 दिनांक 11.04.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों की छायाप्रति संलग्न करते हुए सूचित करना है कि बोकारो वन प्रमण्डल अन्तर्गत मौजा सियालजोरी, भागाबाँध, अलकुसा, धनदाबर, बाँधडीह तथा हुटूपाथर में मे0 इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लि0 के लिए 184.23 हे0 वन भूमि अपयोजन हेतु प्रस्ताव पाँच प्रतियों में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो के पत्रांक 843 दिनांक 03.04.2019 द्वारा Online एवं Hard Copy में उपलब्ध कराया गया था, जिसपर समीक्षोपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक 407 दिनांक 11.04.2019 द्वारा 9 (नौ) बिन्दुओं पर पृच्छा की गयी थी, जिसका निराकरण प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो के पत्रांक 600 दिनांक 24.04.2019 द्वारा उपलब्ध कराया गया है। निराकरण के उपरान्त प्रस्तावित वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव की वस्तुस्थिति निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	प्रमण्डल का नाम	जिला	अधिसूचित वनभूमि का रकवा (हे0 में)	जंगल–झाड़ी दर्ज भूमि का रकवा (हे0 में)	अपयोजन हेतु प्रस्तावित कुल वनभूमि का रकवा (हे0 में)
1	2	3	4	5	6
1.	बोकारो वन प्रमण्डल	बोकारो	99.27	84.96	184.23

मे0 इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लि0 द्वारा प्रस्तावित स्थल पर फैक्ट्री तथा संबंधित ईकाईयों का निर्माण कर लिया गया है तथा वर्त्तमान में यह फैक्ट्री संचालित है। अधिसूचित वन भूमि को अतिक्रमित किए जाने के कारण मे0 इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड के विरूद्ध 26.03.2009 से 20.07.2016 की अवधि में स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत् कुल 53 वनवाद दायर किए गए है तथा इससे संबंधित बी0पी0एल0ई0 के तहत् भी कुल 39 वाद दायर किये गये हैं। अपयोजन हेतु प्रस्तावित कुल 184.23 हे0 वन/जंगल–झाड़ी वनभूमि में से 174.39 हे0 वनभूमि पर अतिक्रमण प्रतिवेदित है। शेष 9.84 हे0 वनभूमि का अपयोजन क्षमता विस्तार हेतु प्रस्तावित है।

विदित हो कि वन प्रमंडल पदाधिकारी, बोकारो द्वारा पूर्व में मेसर्स इलेक्ट्रो स्टील लि0 द्वारा वनभूमि पर किये गये अतिक्रमण के संबंध में उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, बोकारो (गोपनीय

497

शाखा) पत्रांक–02 मु0/गो0 दिनांक 29.06.2012 के पत्र को संलग्न किया गया था, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि मेसर्स इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लि0 के प्लांट अन्तर्गत पड़ने वाली भूमि में कुल 372.90 एकड़ भूमि जंगल–झाड़ी के रूप में दर्ज है। इसके संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निदेश दिया गया था, जिसे स्पष्ट करते हुए क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो के द्वारा सूचित किया गया है कि उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक 02 मु0/गो0 दि0.29.06.2012 के संबंध में अपयोजनकर्ता द्वारा उनके पत्र दिनांक 18.04.2019 एवं 24.04.2019 द्वारा यह बताया गया है कि मेसर्स इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड, जो पूर्व में इलेक्ट्रोस्टील इन्टीग्रेटेड लि0 था तथा जो वास्तव में मेसर्स इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग लिमिटेड का Subsidiary unit था, उसे वर्ष 2018 में सर्वश्री वेदान्ता लिमिटेड द्वारा IBC (Insolvency and Bankruptcy Code 2016) के प्रावधानों के अन्तर्गत अधिग्रहित किया गया है तथा वर्तमान में मेसर्स इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड से मे0 इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग लिमिटेड का कोई संबंध नहीं है।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक ने अपने उपरोक्त प्रतिवेदन में यह भी वर्णित किया है कि उपायुक्त द्वारा उनके पत्र दिनांक 29.06.2012 में उल्लेखित जंगल/झाड़ी भूमि 372.90 एकड़ भूमि मौजा–पर्वतपुर, तेतुलिया, सियालजोरी एवं महाल में दर्शाया गया, जो Disputed एवं त्रुटिपूर्ण होने के कारण उपायुक्त द्वारा पुनः समीक्षा कर जाँच समिति बनाया गया। उक्त जाँच समिति के जाँचोपरान्त अंचलाधिकारी नावाडीह के पत्र दिनांक 27.02.2013 द्वारा एक प्रतिवेदन उपायुक्त, बोकारो को भेजा गया, जिसमें अपयोजनकर्ता द्वारा अतिक्रमित/धारित भूमि को प्लॉट एरिया एवं कोल ब्लॉक एरिया में विभाजित करके प्लॉट एरिया को मौजा– सियालजोरी में एवं कोल ब्लॉक एरिया को 07 (सात) अन्य मौजाओं में दर्शाया गया। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सूचित किया गया कि कोल ब्लॉक एरिया को इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग लिमिटेड के पक्ष में आवंटित किया गया था, किन्तु बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में उसे रद्द कर दिया गया, जिसे वर्ष 2015 में बी0सी0सी0एल0 के पक्ष में आवंटित किया गया। यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड का इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग लिमिटेड से कोई संबंध नहीं है तथा इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड द्वारा प्लॉट एरिया एवं उसके पहुँच पथ में उपयोग किए गए सभी वनभूमि (अधिसूचित एवं जंगल–झाड़ी) को प्रस्ताव में सम्मिलित कर समर्पित किया गया है।

मेसर्स इलेक्ट्रोस्टील इंटीग्रेटेड लिमिटेड (मेसर्स इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड) को पूर्व में GoI, MoEF के पत्र संख्या–J-11011/137/2006-IA.II(I) दिनांक 21.02.2008 के द्वारा मौजा–पर्वतपुर के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई थी, लेकिन मे0 इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड के द्वारा प्लान्ट के स्थापना स्वीकृत स्थल से अन्यत्र करने आदि कारणों से GoI, MoEF & CC के दिनांक 20.09.2018 को पारित आदेश द्वारा पूर्व निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति को **revoke** कर दिया गया है। तत्पश्चात् मेसर्स इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड के द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में W.P.(C) 4850/2018 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 27.09.2018 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया कि "Operation, implementation and execution of the impunged order dated 20-09-2018 is hereby stayed till the next date."

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो एवं वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि के क्षतिपूर्ति हेतु लोहरदगा वन प्रमण्डल अन्तर्गत 65.743 हे0 एवं गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल अन्तर्गत 118.60 हे0 कुल 184.343 हे0 जंगल–झाड़ी किस्म की भूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण प्रस्तावित की गयी है, जिसकी विवरणी निम्नवत है :–

क्र0 स0	प्रमण्डल का नाम	स्थल का नाम	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा (हे0 में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	लोहरदगा वन प्रमण्डल।	बेदल	भण्डरा	332	715 / 437	18.218
2.		उदरांगी	भण्डरा	221	546, 1016	13.473
3.		मोसमानो	भण्डरा	426	2689, 2692	30.947
4.		सलगी	कुरू–5	352	381	3.105
			कुल :–			**65.743**
1.	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।	पारसबनी	पीरटाँड़–32	1	112, 136, 156, 179	21.88
2.		अंगैया	पीरटाँड़–37	31	847, 12, 215, 16	22.79
3.		मंझलाडीह	पीरटाँड़–178	1	44, 50, 302, 304	14.55
4.		पीहरा	गाँवा–371	104	8318, 8285, 1926, 1993	21.58
5.		मनीमहोडर	गाँवा–372	32	60, 509, 453, 425	16.01
6.		महुआर	बेंगाबाद–17	117	4207	21.79
			कुल :–			**118.60**
			सकल योग :–			**184.343**

लोहरदगा वन प्रमण्डल के अधीन क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित 4 ग्रामों में 65.743 हे0 क्षेत्रफल पर वर्तमान में वृक्षावरण विद्यमान रहने के कारण वन प्रमंडल पदाधिकारी, लोहरदगा द्वारा मात्र 18.00 हे0 में 19800 पौधा लगाया जाना प्रस्तावित है। भारत सरकार के नवीनतम दिशा निर्देश के अनुसार क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित 65.743 हे0 पर कम से कम 1000 पौधें / हे0 के मापदण्ड के अनुसार शेष बचे 45945 पौधों (65743–19800) के वृक्षारोपण हेतु बोकारो वन प्रमण्डल के अन्तर्गत ही अवकृष्ट सुरक्षित वन, ग्राम–महाल (थाना एवं थाना संख्या–चन्दनकियारी, 225) के ग्रॉस रकवा– 43.99 हे0 (नेट रकवा 40.00 हे0) में कुल 66640 पौधों के वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–

क्र0 स0	प्रमण्डल का नाम	स्थल का नाम	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा (हे0 में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	बोकारो वन प्रमंडल	महाल	चन्दनकियारी–225		1526	10.59
2.					1540	1.51
3.					4200, 6837, 4199, 4181, 4201, 6711	18.98
4.					6739, 6749	12.91
			कुल :–			**43.99 (नेट रकबा 40.00)**

उपर्युक्त प्रस्ताव की Online uploading की कार्रवाई भी पूर्ण कर ली गयी है।

अतः क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो के अनुमोदन से वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो से प्राप्त प्रस्ताव निम्न अभिलेखों के साथ चार प्रतियों में संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है :–

1. Online आवेदन प्रपत्र-A का Part-1
2. समेकित स्टील प्लांट का परियोजना प्रस्ताव।
3. परियोजना के अन्तर्गत चन्दनकियारी प्रखण्ड के अन्तर्गत पड़ने वाले सभी ग्रामों का Certified Land Schedule एवं खतियान की प्रति।
4. परियोजना के अन्तर्गत चास प्रखण्ड के अन्तर्गत पड़ने वाले सभी ग्रामों का Certified Land Schedule एवं खतियान की प्रति।
5. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का Geo Reference Digital Plan in Shapefile
6. परियोजना से संबंधित बिन्दुओं पर वचनबद्धता।
7. लागत लाभ विश्लेषण
8. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का Land Schedule.
9. पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी पत्र की प्रति एवं EMP
10. वनाधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जंगल–झाड़ी भूमि से संबंधित प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है एवं Notified Forest के लिए वनाधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जाने की कार्रवाई का उल्लेख किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा GoI, MoEF&CC के पत्र संख्या–F.No.-11-43/2013-FC, दिनांक 03.12.2018 संलग्न किया गया है, जिसमें उल्लेख है कि "The process of compliance of FRA is not required for consideration of in-principal approval (Stage-I) and has to be furnished by the State Government for consideration of the proposal by the Ministry for final approval only."
11. अपयोजन हेतु प्रस्तावित ग्रामों में ग्राम सभा की कार्रवाई।
12. लोहरदगा जिलान्तर्गत क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपलब्ध कराये गये जंगल–झाड़ी किस्म की भूमि का आवंटन की प्रति।
13. गिरिडीह जिलान्तर्गत क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपलब्ध कराये गये जंगल–झाड़ी किस्म की भूमि का आवंटन की प्रति।
14. Non Encroachment प्रमाण–पत्र की प्रति।
15. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपलब्ध कराये गये जंगल–झाड़ी किस्म की भूमि की उपयुक्ता प्रमाण–पत्र।
16. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपलब्ध कराये गये जंगल–झाड़ी किस्म की भूमि का Geo-referenced map in Shapefile.
17. परियोजना प्रस्ताव समर्पित करने हेतु प्राधिकार पत्र एवं पुनरिक्षित प्राधिकार पत्र की प्रति।
18. वृक्षों की गणना सूची।
19. NPV भूगतान हेतु वचनबद्धता।
20. वर्त्तमान स्टील प्लांट एरिया को टोपोशीट N 73 1/2 एवं 73 1/6 (Scale (1:50,000) नक्शा पर दिखाते हुए Location Plan.
21. प्रस्तावित वनभूमि का Plan (1:3960)
22. वर्तमान Land Use Plan (1:3960)
23. Bandidhih, Bhagabandh, Hutupathar, Dhandabar, Alkusa, Budhibinor & Siyaljori ग्रामों में अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का Cadastral मानचित्र (1:3960)
24. लोहरदगा में चिन्हित क्षतिपूरक वनरोपण स्थल का Cadastral मानचित्र (1:3960)

25. लेहरदगा जिले में चयनित क्षतिपूरक वनरोपण स्थल का चिन्हित Toposheet map (1:50,000 RF)

26. लेहरदगा जिले के CA land से संबंधित DGPS survey का CD

27. गिरिडीह जिला में चिन्हित क्षतिपूरक वनरोपण स्थल का Cadastral मानचित्र (1:3960)

28. गिरिडीह जिले में चयनित क्षतिपूरक वनरोपण स्थल का चिन्हित Toposheet map (1:50,000 RF)

29. गिरिडीह जिले के CA land से संबंधित DGPS सर्वे का C.D.

30. CA हेतु बोकारो वन प्रमंडल के अधीन चिन्हित अतिरिक्त अवकृष्ट वनभूमि, ग्राम–महाल का Cadastral map.

31. RDF स्थल पर वनरोपण हेतु प्राक्कलन एवं उपयुक्ता प्रमाण पत्र।

32. RDF स्थल पर वनरोपण स्थल का Kml file.

33. ऑनलाईन पार्ट–II की प्रति।

34. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित स्थल के क्षतिपूरक वनरोपण हेतु योग्य होने का संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी के प्रमाण पत्र की प्रति।

35. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित स्थल से संबंधित प्राक्कलन की प्रति।

36. अपयोजन हेतु प्रस्तावित स्थल का वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति।

37. वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव पर वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो के अनुशंसा की प्रति।

38 वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन।

39 पार्ट–III में वन संरक्षक की अनुशंसा।

40. पार्ट–IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य अंकित है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से विषयगत वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संदर्भ में संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है ।

अनु0 :– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/–
प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : .... **दिनांक :** ....

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : 463 **दिनांक :** 26.4.19

प्रतिलिपि :– मेसर्स इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड, 801, शांति अपार्टमेंट, कांके रोड, राँची–834008 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.04.2019
प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

PART –IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

M/s ELECTROSTEEL STEELS LIMITED 184.23_ha.

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion (Encroachment Regularization) of 184.23 ha. Forest land as per MoEF & CC FC guidelines dated 29.01.2018

Date :- 26.04.2019

Place :- Ranchi.

Signature

(SHASHI NANDKEOLYAR)

Nodal Officer

Name & Designation

Principal Chief Conservator of Forests
Cum-Executive Director
Waste Land Development Board
Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)